भवाम,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
148/2025	12.08.2025	20.04.2026

अनवान

1. किशन पुत्र शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी परसाखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पिता शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी परसाखेड़ा तहसील कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. गोपाललाल पिता शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी परसाखेड़ा तहसील कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. मगनीबाई पत्नी शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी परसाखेड़ा तहसील कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. मोहनलाल पिता शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी परसाखेड़ा तहसील कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. प्रभूलाल पिता नाथु जाति जाट आयु वयस्क निवासी परसाखेड़ा तहसील कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. सीताराम पिता लेहरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी परसाखेड़ा तहसील कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. किशनलाल पिता धनराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी परसाखेड़ा तहसील कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल वैष्णव — प्रार्थी
अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा — अप्रार्थी सं0 1
एकतरफा — अप्रार्थी सं0 2 से 7

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियमः:–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा परसाखेड़ा पटवार हल्का केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 3 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 117, 118, 119, 120, 121, 122 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा का अधिकार पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। शेष अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 15.10.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मौजा परसाखेड़ा पटवार हल्का केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 3 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 117, 118, 119, 120, 121, 122 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 निम्बाहेड़ा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुराणा)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन